न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर–कैम्प दूदू

(पीठासीन अधिकारीः– मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–489/2019/225 (2019/00489)

1. मौसम पुत्र सुलेमान,
2. चांद मोहम्मद पुत्र सुलेमान,
3. इरफान पुत्र सुलेमान,
4. इमरान पुत्र सुलेमान,
5. इशाक पुत्र सुलेमान,
6. इकबाल पुत्र अहमद मुंशी,
7. इस्माइल पुत्र सुलेमान,
8. पोन्टू उर्फ दिलशाद पुत्र अहमद मुंशी,

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम कादेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रंगलाल पुत्र हीरा,
2. अम्बाशंकर पुत्र हीरा,
3. कमला पत्नि रामलाल,
4. कालू पुत्र रामलाल,
5. सांवरा पुत्र रामलाल,
6. मेना पुत्री रामलाल,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कादेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर

7. गोपाल पुत्र ओनाड़ गुजर, नि0 आमली बारेठ, तह0 फूलियाकंला जिला भीलवाड़ा ।
8. घनश्याम पुत्र माधूलाल माली, निवासी शेषपुरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी दिनांक 6.12.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 105/2019.

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 5, 7 व 8.
3. रेस्पो0 संख्या 3, 4 एवं 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 26.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 6.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन

किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात का एकमात्र खातेदार प्रार्थीगण है । विवादित आराजियात से अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार व संबंध नहीं है । इसके बावजूद अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व में आधिपत्य की आराजियात में जबरन विधिविरूद्ध कब्जा करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 6.12.2019 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया तथा प्रार्थीगण को भी विवादित आराजियात को मूल वाद तक अंतरण, बय, रहन नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 का आदेश विरोधाभासी है तथा निर्णय में स्पष्ट फाइण्डिग नहीं दी है । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रेस्पो0 का नाम गलत अंकित है। इस बाबत् अपीलांट ने अधी0न्याया0 में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है । अपीलांट संख्या 1 के पिता अलादीन पुत्र अब्दुला ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी दिनांक 18.3.1968 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की थी तथा परिशोधन संख्या 26 दिनांक 7.6.1985 को तस्दीक हो चुका है । अपीलांटस क्रय दिनांक से ही वादवर्णित आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है । रेस्पो0 विक्रेता खातेदार के वारिसान है जिनका विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त नहीं है। विवादित आराजियात पर अपीलांटस का विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा काश्त होने से प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य था । विक्रय पत्र दिनांक 18.3.1968 में पृष्ठ संख्या 1 पर लिखा गया है कि कब्जा व दखल हमारा हटाकर खरीददारान का करा दिया था जिससे भी कब्जा काश्त अपीलांटस क्रेतागण का होना प्रमाणित था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांटस जो कि विवादित आराजियात पर काबिज काश्त है, को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर प्रकरण संख्या 105/2019 में रेस्पो0 के कब्जे काश्त में दखलदांजी ना करने तक की सीमा तक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, को निरस्त किया जावे व रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 5 7 व 8 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विवादित आराजियात पर कभी भी अपीलांटस एवं उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त नहीं रहा है । अपीलांटस द्वारा रेस्पो0 की खातेदारी आराजियात पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर रेस्पो0 द्वारा भी अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश किया गया है जो विचाराधीन है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र धारा 212 खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन

किया। अपीलांटस ने विवादित आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.31968 को उनके पूर्वजों द्वारा क्रय करने का कथन कर वर्तमान में विवादित आराजियात पर स्वंय का कब्जा काश्त होना बताया है । रेस्पो0 का कथन रहा है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात रेस्पो0 के नाम दर्ज होकर कब्जा काश्त रेस्पो0 का ही चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को इस आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है कि रेस्पो0/प्रार्थीगण विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । दोनों पक्ष विवादित आराजियात पर अपना–अपना कब्जा काश्त होना बता रहे है जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त के संबंध में विवाद है । अपीलांटस के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र एवं कब्जे काश्त के तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान में उभयपक्षों के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद है । ऐसी स्थिति में वाद के निस्तारण तक वाद की विषयवस्तु की सुरक्षा हेतु उभयपक्ष को मौ एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करना उचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.12.2019 निरस्त किया जाता है तथा उभपक्षकारान को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर